पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय क्र.२, अजमेर
PM SHRI KENDRIYA VIDYALAYA No.2, AJMER
के.रि.पु.बल (समूह केन्द्र-II) फॉय सागर रोड, अजमेर, राजस्थान-305005
CRPF (GC-II), Foy Sagar Road, Ajmer, Rajasthan-305005
Web: https://no2ajmercrpf.kvs.ac.in
E.mail : kvno2ajmer@gmail.com, Ph. No.0145-2600675(O)

तत् त्वं पूषन् अपावृणु
केन्द्रीय विद्यालय संगठन

PM SHRI

एफ न.- 6-4/ पीएम श्री केवि 2 अजमेर/2023-24 दिनांक 19/01/2024

नीलामी सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि **पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय क्र. 2**, अजमेर में विभिन्न विभागों जैसेः– **कम्प्यूटर एवं इससे संबन्धित उपकरण**, ऑडियो-विजुअल **सामग्री**, संगीत वाद्ययंत्र, CCTV **कैमरा**, कला विभाग, परीक्षा विभाग, पुस्तकालय इत्यादि में कुछ सामान/वस्तुऐं अनुपयोगी घोषित की गयी है। इसके अतिरिक्त प्लास्टिक एवं लोहे के कुछ सामान इत्यादि को **"जहॉ है और जैसी स्थिति में है"** के आधार पर सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से बेचा जाना है। **नीलामी प्रकिया विद्यालय में दिनांक 03.02.2024 को प्रात 11.00 बजे आयोजित की जाएगी ।**
जो व्यक्ति/फर्म, नीलामी में भाग लेने के इच्छुक है वे विद्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हो सकते है । नीलामी के लिए रखी गई वस्तुओं का निरीक्षण, नीलामी वाले दिन, प्रातः 9.00 बजे से 10.00 बजे के बीच किया जा सकता है ।

नीलामी के लिए नियम और शर्ते :–

1. बोलीदाता को बोली में भाग लेने से पहले रू. 2000/– धरोहर राशि के रूप में तथा अपना/फर्म का पहचान पत्र की फोटो प्रति कार्यालय में जमा करवाने होंगे।
2. नीलामी के पश्चात असफल बोलीदाताओं को धरोहर राशि वापस कर दी जाएगी।
3. समिति द्वारा स्वीकार्य सफल बोलीदाता को उच्चतम बोली की राशि मौके पर ही तुरन्त कार्यालय में जमा करनी होगी, जिसमें धरोहर राशि समायोजित कर दी जायेगी।
4. सफल बोलीदाता को कय की गई सामग्री को अपने खर्चे पर **उसी दिन** उठाना होगा।
5. समिति द्वारा स्वीकृति के पश्चात बोली की शतप्रतिशत राशि जमा **नहीं** करने की स्थिति में बोलीदाता द्वारा द्वारा जमा की गई धरोहर राशि को जब्त कर लिया जाएगा और वस्तुओं को दूसरी उच्चतम बोली लगाने वाले केता को बेच दिया जाएगा।
6. केन्द्रीय विद्यालय संगठन के किसी भी कर्मचारी या उनके परिवार के सदस्य को इस नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी।
7. **कम्प्यूटर विभाग की अनुपयोगी सामग्री कय हेतु इच्छुक व्यक्ति/फर्म के पास ई–वेस्ट (E-Waste) खरीद हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय/केन्द्रीय प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB)/राजस्थान प्रदुषण नियंत्रण समिति (RPCC) द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र अवश्य उपलब्ध होना चाहिए । जिनकी फोटोप्रति नीलामी से पूर्व कार्यालय में जमा करवानी होगी।**
8. अन्य नियम और शर्तें, यदि कोई है तो, समिति द्वारा नीलामी प्रारम्भ होने से पहले घोषित कर दी जाएगी।
9. समिति, बिना किसी भी कारण को बताए,किसी भी बोली को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।

(देवेन्द्र कुमार देरान)
प्राचार्य

प्रतिलिपिः–

1. श्रीमान् अध्यक्ष जी, विद्यालय प्रबंधन समिति, के.वि.क्र.2,अजमेर – को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. श्रीमान् उपायुक्त, केविसं,क्षे.का. जयपुर –को सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
3. के.वि.क्र.2 अजमेर की वेबसाईट व सूचना पट्ट हेतु ।